न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :– 173/2021

1. दीवानचन्द पुत्र ढालूराम जाति अरोड़ा निवासी 13 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....वादी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला।

.... प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री रामकुमार तेतरवाल अधिवक्ता वादी की ओर से
2. पैरोकारराज उपस्थित

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी. एक्ट एवं 136 एल.आर.एक्ट

–: निर्णय :– **दिनांक :– 31.10.2022**

यह वादपत्र वादी की ओर से अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी. एक्ट एवं 136 एल. आर.एक्ट में प्रस्तुत किया है। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादी के पिता ढालूराम पुत्र लालचन्द के नाम की खातेदारीशुदा भूमि में अपने हिस्सा की भूमि पर लम्बे अरसे से काबिज काश्त है। वादी के पिता ढालूराम पुत्र लालचन्द जाति अरोड़ा निवासी जोधेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर के नाम से चक 20 बी. डी. हाल चक 21 बी.डी. ए के मु0नं0 96/09 के किला नं0 1 ता 17 में 4.2234 हैक्टर कमाण्ड भूमि दिनांक 14.05.1974 को आवंटन हुई थी तथा जिसकी खातेदारी दिनांक 08.08.1988 को जारी की हुई है तथा उक्त भूमि वादी के पिता के नाम राजस्व रिकॉर्ड में पुख्ता आवंटी दर्ज शुदा है। वादी के पिता ने जीवनकाल में उक्त खातेदारी भूमि में से मु0नं0 96/09 के किला नं0 7 ता 9 सालम, 10 में 18 बिस्वा, 11 में 18 बिस्वा, 12 सालम, 13 में 10 बिस्वा की कुल तादादी 6.06 बीघा कमाण्ड भूमि वादी को जरिये मुख्त्यारेआम के विक्रय कर दी थी। तदुपरान्त तहसीलदार महोदय को उक्त बैयनामा के नामान्तरण करना चाहिए था परन्तु नहीं किया गया। वादी के पिता ढालुराम का देहान्त दिनांक 12.5.2019 को हो गया, तत्पश्चात वादी अपने पिता के नाम की शेष भूमि के विरासतन नामान्तरण हेतु दिनांक 17.2.2021 को तहसीलदार महोदय को प्रार्थनापत्र दिया जिसमें तहसीलदार महोदय द्वारा दिनांक 16.3.2021 को पुष्टि तहसीलदार श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक 2241 दिनांक 10.8.2021 को तहसीलदार प्राप्त हुई परन्तु तहसीलदार खाजूवाला द्वारा उक्त भूमि रिपोर्ट में गैरखातेदार दर्ज होने के कारण खातेदार दर्ज करने हेतु खातेदारी सनद पेश करने को कहा तब वादी ने सनद पेश की तब तहसीलदार ने कहा कि खातेदारी सनद [illegible] स्व रिकॉर्ड में निवास स्थान की भिन्नता के कारण आपका इन्द्राज [illegible] है। अतः खातेदारी सनद एवं राजस्व रिकॉर्ड में निवास स्थान की भिन्नता के कारण नामान्तरण स्वीकृत करने से इन्कार करते हुवे आदेश क्रमांक 10864 दिनांक 08.11.2021 सहित दस्तावेज [illegible] दिये और कहा कि शुद्धि उपखण्ड अधिकारी महोदय से करवाकर लाओ बाद में खातेदारी बैयनामा तथा वारिसान नामान्तरण दर्ज होगा। वादी पिता के नाम से जारी खातेदारी सनद में वादी के पिता का निवास स्थान जोधेवाला की जगह सहवन से 21 बी.डी. ए लिख दिया। जबकि राजस्व रिकॉर्ड में पटवारी हल्का द्वारा जोधेवाला की जगह सहवन से गोधेवाला दर्ज कर दिया, जबकि मूल आवंटन पत्रावली में तथा आवंटन आदेश तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:12:24 IST
Reason: SelfAttested

सैल रजिस्टर में वादी के पिता का निवास स्थान जोधेवाला अंकित है। वादी घोषणात्मक रिकॉर्ड दुरुस्ती इस आश्य की जारी कि जावे कि वादी के पिता ढालुराम पुत्र लालचन्द को आवंटित भूमि वाके चक 21 बी.डी. ए के मु0नं0 96/9 के किला नं0 1 ता 17 में 4.2234 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि की खातेदारी सनद में निवास स्थान 21 बी. डी. ए के स्थान पर जोधेवाला एवं राजस्व रिकॉर्ड में गोधेवाला के स्थान पर जोधेवाला की रिकॉर्ड दुरुस्ति करने एवं वादी द्वारा जरिये बैयनामा दिनांक 13.12.2017 को खरीदशुदा रकबा वाके चक 21 बी.डी. ए के मु0नं00 96/9 के किला नं0 7 ता 9, सालम, 10 में 18 बिस्वा, 11 में 18 बिस्वा, 12 सालम, 13 में 10 बिस्वा की कुल तादादी 6.06 बीघा कमाण्ड रकबा का खातेदार घोषित करने एवं शेष भूमि का वारिस प्रमाणपत्र के आधार पर वादी एवं वादीगण के अन्य सहिस्सेदार के नाम खातेदार की घोषणा की जावे।

सर्वप्रथम वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी/तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/भू.अ./राजस्व/180 दिनांक 07.01.2022 रिपोर्ट ली गई। उक्त रिपोर्ट अनुसार चक 21 बी.डी. ए का मुरब्बा नं0 96/9 के किला नं0 1 ता 17 में कुल 4.2234 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि ढालुराम पुत्र लालचन्द जाति अरोड़ा साकिन गोधेवाला पुख्ता आवंटित के नाम से दर्ज है। यह है कि मुताबिक पटवारी रिपोर्ट उपनिवेशन विभाग से प्राप्त नामान्तरणकरण की पड़त वर्ष 1985 से प्राप्त हुई है चुकि आवंटन दिनांक 14/05/1974 का है तत्कालीन समय में उपनिवेशन विभाग द्वारा नामान्तरणकरण नहीं खोला जाता था सीधे खसरा गिरदावरी में सक्षम अधिकारी के आदेशों अनुसार आवंटन भूमि का अंकन किया जाता था। उक्त भूमि आवंटन के समय चक नम्बर 20 बी डी में आवंटन हुई तत्पश्चात उपरोक्त सीएडी सर्वे अनुसार उपरोक्त भूमि चक 20 बी डी से चक नम्बर 21 बी डी ए में परिवर्तन कर दी गयी जो आज दिनांक तक ब दस्तुर है। खसरा गिरदावरी चक 20 बी डी सम्वत् 2036 से 2039 के कॉलम संख्या 6 में ढालूराम पुत्र लालचन्द साकिन गोधेवाला मुरब्बा नम्बर 96/9 के किला नम्बर 1 ता 15 = 15.00 बीघा कमाण्ड भूमि पुख्ता आवंटन का अंकन है तथा नामान्तरणकरण संख्या 4 दिनांक 23/01/1985 के अनुसार चक नम्बर 20 बी डी का मुरब्बा नम्बर 96/9 के किला नम्बर 16, 17 = 2.00 बीघा कमाण्ड भूमि ढालूराम पुत्र लालचन्द जाति अरोड़ा साकिन 20 बी डी के नाम से स्माल पेच आवंटन स्वीकृत नामान्तरणकरण दर्ज है। टी. आर.ए. शाखा की रिपोर्ट के अनुसार चक नम्बर 20 बी डी खाता संख्या 19 के अनुसार मुरब्बा नम्बर 96/9 के किला नम्बर 1 ता 15 = 15.00 बीघा पुख्ता आवंटन व किला नम्बर 16 ,17 = 2.00 बीघा कमाण्ड भूमि ढालूराम पुत्र श्री लालचन्द जाति अरोड़ा साकिन जोधेवाला के नाम से दर्ज है तथा उपरोक्त भूमि की कीमत पेटे समस्त राशि जमा का अंकन है व उपनिवेशन विभाग द्वारा जारी खातेदारी सनद का अंकन है। दिनांक 13/12/2017 को श्री ढालूराम के मु.आम श्री राजेन्द्र कुमार द्वारा चक नम्बर 21 बी डी ए का मुरब्बा नम्बर 96/9 के किला [illegible] 7 ता 9 सालम, 10 में 18 बिस्वा, 11 में 18 बिस्वा, 12 सालम, 13 में 10 बिस्वा = [illegible] बीघा भूमि को श्री दीवानचन्द पुत्र श्री ढालूराम जाति अरोड़ा निवासी चक 13 [illegible] तहसील खाजूवाला को जरिये बैयनामा विक्रय की गयी उक्त बैयनामा [illegible] पंजीयक खाजूवाला की पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 179 में पृष्ठ संख्या 19[illegible] क्रम संख्या 201703235102398 पर पंजीबद्ध है। आवंटी श्री ढालूराम पुत्र श्री लालचन्द का देहान्त दिनांक 12/05/2019 को हो चुका है इस बाबत श्री ढालूराम के वारिस श्री दीवानचन्द द्वारा एक मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति व ग्राम पंचायत जोधेवाला प.सं. श्रीगंगानगर द्वारा जारी वारिस तस्दीक प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर उपरोक्त भूमि में से विक्रय की गयी भूमि के अलावा शेष रही

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:12:24 IST
Reason: SelfAttested

भूमि का विरासतन नामान्तरणकरण दर्ज करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया उक्त कार्यवाही बाबत हाजा कार्यालय के पत्रांक/त.खा./भू.अ./6024 दिनांक 16/3/2021 के द्वारा श्रीमान तहसीलदार (भू.अ.) श्रीगंगानगर को वारिसान की पुष्टि बाबत पत्र प्रेषित किया गया उक्त पत्र के प्रत्युतर में श्रीमान तहसीलदार राजस्व भू.अ. शाखा श्रीगंगानगर के पत्र क्रमांक/भू.अ./2241 दिनांक 10/8/2021 के द्वारा वारिसान की तस्दीक की जाकर हाजा कार्यालय को पत्र प्राप्त हुआ। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार चक नम्बर 21 बी डी ए का मुरब्बा नम्बर 96/9 के किला नम्बर 1 ता 17 में कुल 4.2234 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि में से किला नम्बर 7 ता 13, में 1.5933 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि पर बैयनामा अनुसार क्रेता श्री दीवानचन्द कब्जा काश्त है तथा शेष भूमि पर श्री ढालूराम के वारिसान काबिज काश्त है तथा उक्त भूमि किसी प्रकार से विवादित नहीं है ना ही उक्त भूमि किसी अन्य प्रयोजन हेतु आरक्षित है।

तहसीलदार खाजूवाला द्वारा आवंटी के वारिसों की पुष्टि तहसीलदार श्रीगंगानगर पटवार मण्डल जोधेवाला तहः व जिला श्रीगंगानगर से प्राप्त हुई जो इस पत्रावली में प्रस्तुत की गई है। उक्त पत्रावली में पटवार मण्डल जोधेवाला तहः व जिः श्रीगंगानगर हल्का पटवारी ने वारिसान की जांच कर शंकरलाल, हरिचन्द, दीवानचन्द, ईश्वरीदेवी उर्फ देवीबाई, द्रोपतीदेवी उर्फ गुंबदी, नानकीदेवी, लाजवन्ती को ढालुराम के जायज वारिस बताया है एवं कुल 7 वारिसों के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना बताया है।

वादी अधिवक्ता ने उक्त रकबे से संबंधित मूल आवंटन पत्रावली नकल जिला अभिलेखागार कलेक्ट्रेट बीकानेर के क्रमांक 2251 दिनांक 21.10.2021 प्रस्तुत की। उक्त पत्रावली में आवंटी का नाम ढालुराम पुत्र लालचन्द अरोड़ा निवासी जोधेवाला अंकित है। पत्रावली में वारिसों (शंकरलाल, हरिचन्द, दीवानचन्द, ईश्वरीदेवी उर्फ देवीबाई, द्रोपतीदेवी, नानकीदेवी, लाजवन्ती) का प्रस्तुत शपथपत्र में लिखा है कि हम मिकरान के पिता ढालुराम पुत्र लालचन्द के नाम चक 21 बीडी ए तहः खाजूवाला जिला बीकानेर के मुरब्बा नं0 96/9 में किला नं0 1 ता 17 की 16.14 बीघा भूमि दर्ज है जिसमें हमारे गांव का नाम जोधेवाला की जगह गोधेवाला अंकित हो गया है जिसे दुरुस्त करवाना चाहते है। उक्त सम्पति का घरू बंटवारा आपसी सहमति से करते हुवे चक 21 बीडी ए के मु0न0 96/9 के किला नं0 1 ता 3 हरिचंद पुत्र ढालुराम व 4 ता 6 शंकरलाल पुत्र ढालुराम के हिस्से में दे दी थी और उसी अनुसार आज तक काबिज है उक्त मुरब्बा 96/9 के किला नं0 7 ता 17 में 6.06 बीघा का बैयनामा जरिये मुख्त्यारआम राजेन्द्रकुमार दीवानचंद के नाम करवाया जा चुका है शेष कृषि भूमि भी घरू बंटवारा में दीवानचंद पुत्र [illegible] है। स्वर्गीय ढालुराम द्वारा जीवनकाल में होश हवास में रूबरू गवाहान [illegible] वसीयत करवायी हुई है जिसमें उक्त मुरब्बा 96/9 व किलानं0 1 ता 3 हरिचंद [illegible] के नाम हुई व इसीप्रकार किला नं0 4 ता 6 शंकरलाल के नाम वसीयत [illegible] हुई है बाकी कृषि भूमि दीवानचंद के परिवार की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:12:24 IST
Reason: SelfAttested

बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने दौराने बहस वादपत्र के कथनों को दोहराते हुवे निवेदन किया कि वादी का वादपत्र स्वीकार करते हुवे। चक 21 बीडी ए के मु0नं0 96/09 के किला नं0 1 ता 17 में 4.2234 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि की खातेदारी सनद में

निवास स्थान में 21 बीडी ए के स्थान पर जोधेवाला तथा उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में निवास स्थान में गोधेवाला की जगह जोधेवाला दर्ज किया जावे तथा उक्त 4.2234 हैक्टर भूमि में से किला नं0 7 ता 9, सालम, 10 में 18 बिस्वा, 11 में 18 बिस्वा, 12 सालम, 13 में 10 बिस्वा की कुल तादादी 6.06 बीघा कमाण्ड भूमि जरिये बैयनामा विक्रय प्रार्थी दीवानचन्द पुत्र श्री ढालूराम जाति अरोड़ा निवासी चक 13 केवाईडी तहसील खाजूवाला को किया गया है उक्त भूमि खरीदशुदा भूमि का प्रार्थी दीवानचन्द को खातेदार घोषित किया जावे। उक्त बैयनामा कार्यालय उप पंजीयक खाजूवाला की पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 179 में पृष्ठ संख्या 198 क्रम संख्या 201703235102398 पर पंजीबद्ध है तथा शेष रकबा का वारिस प्रमाणपत्र के आधार पत्र वादी एवं वादीगण के अन्य सहिस्सेदार को खातेदार घोषित किया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन अध्ययन व बहस पर मनन करने से इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वाद वादी आंशिक स्वीकार कर डिक्री किये जाने काबिल पाया जाता है। अतः वादी का वादपत्र उपलब्ध दस्तावेज, मूल आवंटन पत्रावली, व तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट व 151 सीपीसी अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुवे आंशिक स्वीकार किया जाता है। तथा निम्नानुसार अनुतोष प्रदान किया जाता हैः—

1. चक 21 बी.डी. ए के मु0नं0 96/9 के किला नं0 1 ता 17 में 4.2234 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि की खातेदारी सनद में अंकित निवास स्थान 21 बी.डी. ए के स्थान पर जोधेवाला के आदेश किये जाते है। उक्तानुसार निवास स्थान 21 बी.डी. ए की जगह जोधेवाला पढ़ा—समझा जावे।
2. चक 21 बी.डी. ए के मु0नं0 96/9 के किला नं0 1 ता 17 में 4.2234 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज गोधेवाला के स्थान पर जोधेवाला की रिकॉर्ड दुरुस्ति के आदेश किये जाते है। उक्तानुसार गोधेवाला की जगह जोधेवाला पढ़ा—समझा जावे।
3. पत्रावली में प्रस्तुत आवंटी के वारिसों के शपथपत्र अनुसार चक 21 बी.डी. ए के मु0नं0 96/9 के किला नं0 1 ता 17 में 4.2234 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि में से हरिचंद पुत्र ढालूराम को किला नं0 1 ता 3 रकबा 0.7334 है0 व शंकरलाल पुत्र ढालूराम को किला नं0 4 ता 6 रकबा 0.7587 है0 के खातेदार घोषित किये जाते है।

   शेष रकबा किला नं0 7 ता 17 का तादादी 2.7313 है0 में से 6.06 बीघा दीवानचंद पुत्र ढालूराम जरिये बैयनामा खरीद शुदा है, इससे शेष रकबा का मूल आवंटी के वारिसों ने दीवानचंद को देने के पक्ष में शपथपत्र में सहमति दी है। अतः उक्तानुसार दीवानचंद पुत्र ढालूराम को किला नं0 7 ता 17 रकबा 2.7313 है0 की भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार खाजूवाला आदेश दिया जाता है कि इसमें कोई स्टांप ड्यूटी की हानि हुई है या अन्य कोई राजस्व बकाया है तो जिम्मेदार पक्षकारों से वसूली कर नियमानुसार जमा करवाई जाकर आदेश मुताबिक नियमानुसार अमलदरामद करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक .... को खुले इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:12:24 IST
Reason: SelfAttested